न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 200 / 2014

उनवान

1. प्रहलाद सिंह पिता नन्द सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सीता पत्नि सुगनचन्द तेली निवासी लांगरों का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 190 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.2.2014

अभिभाषक : 1. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री भोपाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 14.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास तहसील माण्डल में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की खातेदारी आराजी खाता संख्या में आराजी नम्बर 1194 / 1 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिसमें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया क का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी मुताबिक वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 शामलाती रूप से अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, घास आदि लेने तथा लगान जमा कराने मे विवाद बना रहताहै। प्रतिवादी को इस बाबत कहा तो टालमटोल करते रहे। दिनांक 31.7.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवाडे बाबत कहा तो वे इंकार हो गये और धमकी दी कि वे बगैर बंटवाडे के ही वादग्रस्त आराजियात को विक्रय कर देंगे तथा तुम्हें जबरन तुम्हारे कब्जेसुदा हिस्से से बेदखल कर देंगे। अतः वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में इन्दाज के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि का खाता अलग कायम करा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री 14.2.2014 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 9.5.2014 पारित की । जिससे व्यथित होकर दिनांक 14.2.2014 को पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी को नोटिस की तामिल भी नहीं कराई गई। तामिल कुनिन्दा ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी। अपीलार्थी ने दिनांक 30.10.2014 को अपनी आराजी नम्बर 1194/1 के खाते की नकल पटवारी सुरास से प्राप्त की तब जाकर प्रकरण संख्या 190/2013 के निर्णय व डिक्री विभाजन की जानकारी हुई। तब दिनांक 3.11.2014 को निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब की अवधि को कण्डोन करते हुए अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामिल नहीं हुई थी। तामिल कुनिन्दा ने संम्मन की पुश्त पर अंकन किया कि प्रतिवादी द्वारा सम्मन पढकर तामिल लेने से इंकार किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामिल मानते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किये गये। जबकि अपीलार्थी को किसी प्रकार का सम्मन नहीं मिला था एवं न ही अपीलार्थी ने सम्मन लेने से इंकार किया था। यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने सम्मन लेने से इंकार किया था तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 में वर्णित प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर दो मौतबिरान की उपस्थिति में होने चाहिये थे।

6. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि सम्मन की प्रोपर तामिल के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 59 में सम्मन की तामिल के उप पेरा (2) में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी ऐसी व्यवस्था दी हुई है जिसके अनुसार भी सम्मन को प्राप्त करने वाला न मिल सके या सम्मन लेने से इंकार करे तो उसके निवास स्थान या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर सम्मन की एक प्रति चिपका कर तामिल की जाने की व्यवस्था दी गई, किन्तु अवर न्यायालय ने कानूनी स्थिति की अनदेखी कर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2005 पेज 657 प्रस्तुत कर अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण प्रस्तुत नहीं करने से अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को अपीलार्थी/प्रतिवादी ने लेने से इंकार किया । जिस पर तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट मौतबिर भैरू के समक्ष अंकित की। नोटिस की पुश्त पर मौतबिर भैरू के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी ने नोटिस को पढकर लेने से इंकार किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादी की प्रोपर तामिल मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की जानकारी खाते की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 30.10.2014 को हुई थी। उसके बाद अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 की अपील प्रस्तुत की है। जबकि जो नकल अपीलार्थी ने प्राप्त की उस पर फाईनल डिक्री दिनांक 29.5.2014 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1946 दिनांक 2.9.2014 द्वारा बंटवाडा डिक्री के आदेश में वादग्रस्त आराजियात का कौनसा हिस्सा अपीलार्थी के खाते में एवं कौनसा हिस्सा प्रत्यर्थी के खाते में दर्ज किया गया है इसका अंकन किया हुआ है। उसके बावजूद अपीलार्थी ने निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.5.2014 की अपील नहीं कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 की अपील प्रस्तुत की है। जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का एंव अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । **अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।**

11. अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का राजस्व रेकार्ड अनुसार विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट अंकित की है कि ''प्रार्थी तामिल पढकर लेने से इंकार किया।'' उक्त रिपोर्ट मौतबिर भैरू लाल के समक्ष अंकित की गई। उक्त नोटिस की पुश्त पर मौतबिर भैरू लाल के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामिल मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 जारी की एवं तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.5.2014 पारित की गई। जिसकी पालना होकर राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन हो चुका है। अपीलार्थी ने उक्त जमाबंदी की नकल प्राप्त कर अंतिम डिक्री की अपील नहीं कर प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.2.2014 की अपील प्रस्तुत की है। जब अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है एवं उसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज भी किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 की अपील किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 200 / 2014

उनवान

1. प्रहलाद सिंह पिता नन्द सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती सीता पत्नि सुगनचन्द तेली निवासी लांगरों का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 190 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.2.2014

अभिभाषक : 1. श्री एस एल वैद , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री भोपाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / 200 / 2014 मे उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिकी जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 14.12.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस एल वैद वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की की ओर से अधिवक्ता श्री बी एल गुर्जर की उपस्थिति मे दिनांक । 14.12.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.2.2014 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक । 14.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

14/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस